न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत कैम्प नेतरा, तहसील सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्री विनोद कुमार गल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 44/2018
दायर तिथि- 04.07.2018
तारीख फैसला- 15.06.2018

वादी-
1-लालसिंह पुत्र स्वीमसिंहजी, आयु 62 वर्ष
2-हेमसिंह पुत्र प्रतापसिंहजी, आयु 52 वर्ष
3-मजराकंवर पत्नि तख्तसिंहजी आयु 90 वर्ष
जातिभाण राजपुरोहित, निवासीगण पराखिया, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली(राज0)।

बनाम:

प्रतिवादी-
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सुमेरपुर, जिला पाली(राज0)।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट, 1955

-:निर्णय:-

वाद पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:-

(1) वादी द्वारा यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा पराखिया पटवार क्षैत्र नेतरा तहसील सुमेरपुर मे स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 151, 151/769, 151/770 पुश्तैनी व नियमन सुदा कब्जे काश्त की आयी हुई स्थित है, कृषि भूमि के पूर्वी दिशा की ओर वादीगण की कृषि भूमि के लगते हुए वर्तमान खसरा नं. 150 अलावा जोत काबिल काश्त भूमि राजस्थान सरकार रकबा 0.52 हैक्टर किस्म जाव दोयम आयी हुई स्थित है। जिस पर वादी के पूर्वजों काल से वादी का कब्जाकाश्त चला रहा है परन्तु आज तक वादी को खातेदार दर्ज नहीं किया है तथा प्रतिवादी द्वारा वादी के विरूद्ध धारा 91 आर.एल. आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करके जुर्माना वसूला जा रहा है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार व डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित करावे। प्रतिवादी किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करावे।

(2) पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया। प्रतिवादी पैरोकार ने लिखित बहस में जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि रेकर्ड में सिवायचक बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज है इसलिए वादी का यह वादपत्र खारिज फरमावे।

(3)फलस्वरूप हमने पाया है कि प्रश्नगत् भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज है, वादी को वादग्रस्त भूमि नियमन होने या इस पर पुश्तैनी पुराना कब्जा काश्त होने जैसा ऐसा कोई प्रामाणिक प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया है, फलतः उल्लेखित तथ्यों के आधार पर हमारे विधिक मतानुसार वादी वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में कानूनन किसी प्रकार से खातेदारी या स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार नहीं बनता है। वादी का कथित वादपत्र काबिल खारिज योग्य है।

अतः परिणामतः वादी का कथित वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के सरहद मौजा पराखिया तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 150 रकबा 0.52 हैक्टर किस्म जाव दोयम से संबधित खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रथमतः परिपोषणिय व चलने योग्य नहीं होने से इसे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को राजस्व लोक अदालत नेतरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner